रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2003/श्रावण 14, 1925

No. 706] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2003/SRAVANA 14, 1925

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 905(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब व्यवस्थापन के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में निर्दिष्ट मामलों के सत्यापन और न्यायनिर्णयन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा रावी और ब्यास जल अधिकरण का गठन किया था;

और उक्त अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट तारीख 30 जनवरी, 1987 को भेज दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के निबंधनानुसार स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए 19 अगस्त, 1987 को अधिकरण को और निर्देश किए हैं;

और उक्त अधिकरण से भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 666(अ), तारीख 10 जून, 2003 के पैरा 2 के निबंधनानुसार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के निबंधनानुसार स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन देते हुए, अपनी ऐसी और रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा की गई है जो वह उचित समझे;

और उक्त, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के उपबंध केन्द्रीय सरकार को अधिकरण द्वारा उसे और रिपोर्ट भेजने के लिए अवधि का विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए अंतरराज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 14) द्वारा 6 अगस्त, 2002 से संशोधित किए गए थे;

और केन्द्रीय सरकार ऐसी अवधि का विस्तार करना आवश्यक समझती है जिसके भीतर रावी और ब्यास जल अधिकरण 5 अगस्त, 2004 तक केन्द्रीय सरकार को अपनी और रिपोर्ट भेज सकेगा;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अवधि का विस्तार करती है जिसके भीतर अधिकरण 5 अगस्त, 2004 तक उस सरकार को अपनी और रिपोर्ट भेज सकेगा।

[फा. सं. 15/3/85-आई.टी.]

ए. के. गोस्वामी, सचिव

टिप्पण : रावी और ब्यास जल अधिकरण के गठन की मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 169(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें का.आ. सं. 3234 तारीख 18 नवम्बर, 1996 तथा का.आ. सं. 666(अ) तारीख 10 जून, 2003 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2003

S. O. 905 (E).— Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 14 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), constituted the Ravi and Beas Waters Tribunal for the verification and adjudication of the matters referred to in paragraphs 9.1 and 9.2 of the Punjab Settlement vide notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986;

And whereas the said Tribunal submitted its report to the Central Government on the 30th January, 1987;

And whereas the Central Government made further reference to the Tribunal on the 19th August, 1987 for explanation and guidance in terms of sub-section (3) of Section 5 of the said Act;

And whereas the said Tribunal, in terms of paragraph 2 of the Government of India in the Ministry of Water Resources notification number S.O. 666(E) dated the 10th June, 2003, has been required to forward its further report giving the explanation or guidance as it deems fit in terms of sub-section (3) of Section 5 of the said Act;

And whereas the provisions of sub-section (3) of Section 5 of the said Act were amended vide the Inter-State Water Disputes (Amendment) Act, 2002 (14 of 2002) with effect from the 6th August, 2002 enabling the Central Government to extend the period for forwarding further report to it by a Tribunal;

And whereas the Central Government considers it necessary to extend the period within which the Ravi and Beas Waters Tribunal may forward its further report to the Central Government till the 5th August, 2004;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby extends the period within which the Tribunal may forward its further report to that Government till the 5th day of August, 2004.

[F.No. 15/3/85-I.T.]

A. K. GOSWAMI, Secy.

Note :— The principal notification constituting the Ravi and Beas Waters Tribunal was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 169(E) dated the 2nd April, 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 3234 dated the 18th November, 1996 and S.O. 666(E) dated the 10th June, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.